न्यायालय भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–83 / 2018–19

राज्य बनाम दौलती देवी

ा की एवं ारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
14/X/2019	यह वाद अंचल अधिकारी, कुन्दा के वाद संख्या–01 / 2017–18 द्वारा दौलती देवी, पति–स्व0 तुलेश्वर पासवान निवासी ग्राम–कुन्दा के थाना नं0–145 के अंर्तगत खाता सं0–111 प्लॉट सं0–777, रकवा–0.0¼ एकड भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में अनुमोदन हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कुन्दा के आदेश पत्रक में उल्लेखित है कि अंचल कार्यालय के ज्ञापांक 20 / अं0, दिनांक–31.01.17 के द्वारा अंचल अमीन से खाता संख्या 111, प्लॉट नं0 777 का पूर्ण मापी कर नक्शा के साथ प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अमीन के द्वारा खाता संख्या–111 प्लॉट–777 का पूर्ण मापी कर नक्शा एवं क्रमांकवार अतिक्रमणकर्त्तागणों का सूची वर्तमान स्थिति के अनुसार दिनांक–14.07.2017 को अंचल कार्यालय को उपस्थित किये है। साथ ही यह भी उल्लेखित है कि अतिक्रमण वाद संख्या 01 में खाता सं0–111 प्लॉट सं0–777, रकवा–0.0¼ एकड़ भूमि में दौलती देवी, पति–स्व0 तुलेश्वर पासवान ने अवैध ढंग से पक्का मकान बना लिया है। साथ ही अंचल अधिकारी, कुन्दा ने अपने आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया है कि– " अतिक्रमणकर्त्ता द्वारा खाता सं0–111 प्लॉट सं0–777 रकवा–0.0¼ एकड़ से संबंधित कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अंचल अमीन, राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन एवं अतिक्रमणकर्त्ता के लिखित बयान देखा। इस जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है।" उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा प्रतिवादी को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष में कोई भी कागजात / लिखित बयान समर्पित नहीं किया गया है।	

इस मामले की जाँच प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–कुन्दा, थाना नं0–145 के अंर्तगत खाता सं0–111 प्लॉट सं0–777, रकवा–0.0¼ एकड भूमि पर अवैध ढंग से कच्चा मकान बना लिया गया है उक्त भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु कार्रवाई की जा सकती है।"

अंचल अधिकारी, कुन्दा के आदेश पत्रक में उल्लेखित है कि अंचल कार्यालय के ज्ञापांक 20/अं0, दिनांक–31.01.17 के द्वारा अंचल अमीन से खाता संख्या 111, प्लॉट नं0 777 का पूर्ण मापी कर नक्शा के साथ प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अमीन के द्वारा खाता संख्या–111 प्लॉट–777 का पूर्ण मापी कर नक्शा एवं क्रमांकवार अतिक्रमणकर्त्तागणों का सूची वर्तमान स्थिति के अनुसार दिनांक–14.07.2017 को अंचल कार्यालय को उपस्थित किये है। साथ ही यह भी उल्लेखित है कि अतिक्रमण वाद संख्या 01 में खाता सं0–111 प्लॉट सं0–777, रकवा–0.0¼ एकड़ भूमि में दौलती देवी, पति–स्व0 तुलेश्वर पासवान ने अवैध ढंग से पक्का मकान बना लिया है। साथ ही अंचल अधिकारी, कुन्दा ने अपने आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया है कि– " अतिक्रमणकर्त्ता द्वारा खाता सं0–111 प्लॉट सं0–777 रकवा–0.0¼ एकड़ से संबंधित कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अंचल अमीन, राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन एवं अतिक्रमणकर्त्ता के लिखित बयान देखा। इस जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है।"

उपरोक्त तथ्यों से निम्नांकित मुख्य बिन्दु परिलक्षित होते हैः–

1. **गैरमजरूआ खास जमीन पर कच्चा मकान निर्माण।**
2. **Encroachment का मामला ।**

1. गैरमजरूआ खास जमीन पर कच्चा मकान निर्माणः– अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–कुन्दा, थाना नं0–145 के अंर्तगत खाता सं0–111 प्लॉट सं0–777, रकवा–0.0¼ एकड भूमि पर अवैध ढंग से कच्चा मकान बना लिया गया है उक्त भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है।

विक्रय पत्र /पट्टा/हुकुमनामा से संबंधित जमीन के लिए उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण एवं सरलीकरण हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची से दिशा–निर्देश प्राप्त है। सरकार के सचिव का

पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0 पारा 9 के कंडिका (II) में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि– " विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 द्वारा दिनांक–01.01.1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑलनाईन दाखिल–खारिज एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की कार्रवाई अंतिम रूप से संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा की जायेगी। अंचल अधिकारी अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी हेतु चिन्हित भूमि का रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेख में ही सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत आदेश पारित करेंगे एवं तदनुरूप ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करेंगे। इस निदेश के बाद अभिलेख को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इस हद तक विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 को संशोधित समझा जाय। इस कार्रवाई में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी इसके लिए पूर्णतः दोषी होंगे।"

2. **Encroachment -** अंचल अधिकारी ने संबंधित भूमि पर अतिक्रमण वाद का जिक्र किया है। अंचल अधिकारी को **Bihar/Jharkhand public Land Encroachment Act 1956** के तहत् विधिसम्मत सुनवाई करते हुए आदेश पारित करना है। ज्ञातव्य है कि अंचल अधिकारी को संबंधित मामले में यथोचित आदेश पारित करने का शक्ति निहित है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में विधिसम्मत/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही आदेश पारित करना है।

अतः अंचल अधिकारी, कुन्दा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित अभिलेख भेजें।

(लेखापित एवं संशोधित)

14/X/2020
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

14/X/2020
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.03 09:10:10 -07:00
Location: 2409:40e4:1056:4265:8caa:c00f:a89d:a4b9